"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2017— माघ 7, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-90/सात-1/2016. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 55 सहपठित धारा 109 की उप-धारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के भर्ती के तरीके संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ स्थापना (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30);

(ख) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है :-

(1) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए-पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण;

(2) रजिस्ट्रार-राज्य शासन;

(3) कार्यालय अधीक्षक-राज्य शासन.

(ग) **"प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 51 के अधीन गठित प्राधिकरण;

(घ) **"समिति"** से अभिप्रेत है, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त गठित चयन समिति;

(ङ) **"सीधी भर्ती"** से अभिप्रेत है, रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थी को आमंत्रित कर/विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर/प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार करते हुए भर्ती;

(च) **"शासन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"पीठासीन अधिकारी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी;

(झ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ट) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ठ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान प्राधिकरण छत्तीसगढ़ स्थापना;

(ड) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सभी पदों पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(1) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से अथवा स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार भर्ती किये गये हों.

5. **वेतनमान, अर्हता, भर्ती एवं पदोन्नति का तरीका इत्यादि.**- सेवा में विभिन्न पदों से संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हता, भर्ती का तरीका एवं पदोन्नति की रीति ऐसी होगी जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

6. **व्यक्तियों के कतिपय संवर्गों के संबंध में आरक्षण, छूट इत्यादि.**- इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं विशेष वर्गों के अन्य व्यक्तियों के लिए उपबंधित अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी.

7. **नियुक्ति की शक्ति.**- (1) पीठासीन अधिकारी, रजिस्ट्रार एवं कार्यालय अधीक्षक को छोड़कर सभी नियुक्तियां प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी.

(2) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, अति आवश्यक प्रकरणों में एवं कार्य की अत्यावश्यकता होने पर, चतुर्थ श्रेणी के पदों में तदर्थ नियुक्ति, चयन समिति द्वारा की जाने वाली चयन के बिना 89 दिवस अथवा कुल एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए अथवा इन नियमों के अनुसार ऐसे पद में नियुक्ति या पदोन्नति तक, जो भी पहले हो, करने हेतु सशक्त होंगे.

8. **निरर्हता.**- कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो;

(ख) जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो, वह किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, तो वह किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह कि यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो शासन, ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा;

(ग) जो किसी आपराधिक कृत्य के लिये विधि के किसी न्यायालय द्वारा ऐसे दण्ड से दण्डित किया गया हो, जो कि इस नियम के अधीन शासकीय सेवा में किसी पद को धारण करने के लिये किसी पदधारी को अन्यथा निषेध करता है;

(घ) कोई अन्य निषेध, जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट हो.

9. **परिवीक्षा**.- सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

10. **वृत्ति में प्रगति**.- पद, जिसमें पदोन्नति का अवसर न हो, ऐसे पद को धारण करने वाला व्यक्ति, अनुसूची में यथा दर्शित सेवा की विहित कालावधि के पूर्ण होने पर, राज्य शासन की योजना/नियम के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने हेतु पात्र है.

11. **निर्वचन**.- यदि इन नियमों को निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होना हो तो इसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

12. **शिथिलीकरण**.- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है;

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची –एक

(नियम 5 देखिए)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान+ ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक वित्त (राज्य वित्त सेवा)	01	प्रथम श्रेणी	रू.15600–39100+रू.6600
2..	रजिस्ट्रार	01	द्वितीय श्रेणी	रू.15600–30100+रू.5400
3.	कार्यालय अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	रू.9300–34800+रू. 4300
4.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	01	तृतीय श्रेणी	रू.9300–34800+रू. 4300
5.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	01	तृतीय श्रेणी	रू.9300–34800+रू. 4300
6.	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.2800
7.	रीडर	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.2800
8.	सहायक ग्रेड–दो	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.2400
9.	सहायक ग्रेड–तीन	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
10.	हेडकापिस्ट	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
11.	रिकार्ड कीपर	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
12.	टायपिस्ट	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
13.	आदेशिका लेखक	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
14.	आदेशिका वाहक	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
15.	वाहन चालक	02	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200 +रू.1900
16.	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	रू.4750–7440+रू.1400
17.	भृत्य	05	चतुर्थ श्रेणी	रू.4750–7440+रू.1300
18.	स्वीपर	01	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर
19.	विधि प्रशिक्षु, संविदा कोर्ट मैनेजर संविदा	01	–	प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट स्टायफण्ड. एकमुश्त वेतन रू. 50,000/–प्रति माह.
	कुल पद	**24**		

अनुसूची –दो
(नियम 5 देखिए)

स.क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान + ग्रेड वेतन	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां	विहित शैक्षणिक अर्हता	पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
					सीधीभती / संविदा / तदर्थ / आउटसोर्स / प्रतिनियुक्ति द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा	स्थानांन्तरण / प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	उपसंचालक वित्त(राज्य वित्त सेवा)	01	प्रथम श्रेणी	रू15600–39100+ रू.6600 / –	–	–	100 %	प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा				
2.	रजिस्ट्रार	01	द्वितीयश्रेणी	रू15600–39100+ रू.5400 / –या स्वयं का वेतनमान(उप सचिव संवर्ग)	–	–	100 %	प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा				
3	कार्यालय अधीक्षक	01	तृतीयश्रेणी	रू.9300–34800+ रू. 4300 या स्वयं का वेतनमान	–	–	100 %	प्रतिनियुक्ति / संविदा द्वारा				
4	शीघ्रलेखक (हिन्दी / अंग्रेजी)	02	तृतीयश्रेणी	रू.9300–3900+ रू. 4300	–	100 %	–	यदि फीडर संवर्ग में कर्मचारी उपलब्ध न हो तो प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण / संविदा द्वारा				
5.	लेखापाल	01	तृतीयश्रेणी	रू.5200–20200+ रू.2800	–	100 %	–	– तदैव–				
6	सहायक ग्रेड–दो	01	तृतीयश्रेणी	रू.5200–20200+ रू.2400	–	100 %	–	–तदैव–				
7.	रीडर	01	तृतीयश्रेणी	रू.5200–20200+ रू.2800	–	100 %		–तदैव–				

8	हेडकापिस्ट	01	तृतीयश्रेणी	रू.5200–20200+ रू. 1900	75 %	25 %	–	–तदैव–	(1)किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2)शासकीय/ अर्द्ध शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर की अर्हता होनी चाहिए । (3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/ अधिसूचना के अनुसार	05वर्ष	सहा. ग्रेड–दो	प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा गठित
9	सहायक ग्रेड–तीन	01	तृतीयश्रेणी	रू.5200–20200+ रू.1900	75 %	25 %	–	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड–3 की विहित शैक्षणिक अर्हता रखता हो और जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुका हो, की 25 % पदोन्नति द्वारा	(1)किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2)शासकीय/ अर्द्ध शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर की अर्हता होनी चाहिए । (3) सामान्य	05वर्ष	सहा. ग्रेड–दो	प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा गठित

								प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/ अधिसूचना के अनुसार			
10	टायपिस्ट	01	तृतीयश्रेणी	रू.5200—20200+ रू.1900	75 %	25 %	—	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड—3 की विहित शैक्षणिक अर्हता रखता हो और जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुका हो, की 25 % पदोन्नति द्वारा	(1)किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2)शासकीय/ अर्द्ध शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर की अर्हता होनी चाहिए । (3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/ अधिसूचना के अनुसार	05 वर्ष	सहायक ग्रेड—2	प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा गठित
11	रिकार्डकीपर	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200—20200+ रू. 1900	75 %	25 %	—	—तदैव—	—तदैव—	—	—	—
12	आदेशिका लेखक	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200—20200+ रू. 1900	75 %	25 %		—तदैव—	—तदैव—	—	—	—
13	आदेशिका वाहक	01	तृतीय श्रेणी	रू.5200—20200+ रू. 1900	75 %	25 %		—तदैव—	—तदैव—	—	—	—
14	वाहन चालक	02	तृतीय श्रेणी	रू.5200—20200+ रू. 1900	100 %	—	—	—	(1)किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से			

									कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (2)सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य ड्रायविंग लायसेन्स (3)हल्के/भारी वाहन चलाने का एक वर्ष का अनुभव			
15	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	रू.4700–7440+ रू.1400	–	100 %	–	यदि फीडर संवर्ग में कर्मचारी उपलब्ध न हो तो प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ संविदा द्वारा	–	–	–	–
16	भृत्य	05	चतुर्थ श्रेणी	रू.4700–7440+ रू.1300	100 %	–	–	–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।	05 वर्ष	सहायक ग्रेड–3	प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा गठित
17	स्वीपर	01	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर	–	–	–	–	–	–	–	–
18	विधि प्रशिक्षु संविदा कोर्ट मैनेजर संविदा	01	–	प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट स्टायफण्ड एकमुश्त वेतन रू. 50,000/–प्रति माह	–	–	–	–	–	–	–	–

Naya Raipur, the 27th January 2017

NOTIFICATION

No. F 4-90/Seven-1/2016. — In exercise of powers conferred by Section 55 read with clause (o) of sub-section (2) of Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, makes the following rules relating to the method of recruitment to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Chhattisgarh, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Land Acquisition, Fair Compensation Rehabilitation and Resettlement Authority, Chhattisgarh Establishment (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2017.
   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) **"Act "** means Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(No. 30 of 2013);
   (b) **"Appointing Authority"** in respect of service means:-
      (i) for Class-III and Class-IV posts-the Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority;
      (ii) Registrar-State Government;
      (iii) Office Superintendent- State Government;
   (c) **"Authority"** means Authority constituted under Section 51 of the Act;
   (d) **"Committee"** means a Selection Committee constituted in this behalf by the Authority;
   (e) **"Direct Recruitment"** means recruitment by calling the candidate from Employment Exchange/ inviting applications through advertisements/ entertaining applications receipt by the Authority;
   (f) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;
   (g) **"Other Backward Classes** "means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government from time to time;
   (h) **"Presiding Officer"** means the Presiding Officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 52 of the Act;

(i) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

(j) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(k) **"Scheduled Tribes** "means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(l) **"Service"** means the Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Chhattisgarh Establishment;

(m) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to all posts specified under column (2) of the Schedule attached to it.

4. Constitution of the Service.- Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule;

(2) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Scale of pay, qualification, method of recruitment and promotion etc**.- The scales of pay attached to different post in the service, the minimum qualifications required for recruitment to the post, method of recruitment and the manner of promotion shall be such as specified in the Schedule.

6. Reservations, relaxations, etc. in respect of certain categories of persons.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classless and other Special Categories of Persons in accordance with the orders issued by the State Government from time to time.

7. Power of appointment.- (1) All appointments except that of Presiding Officer, Registrar and Office Superintendent shall be made by the Presiding Officer of the Authority.

(2) The Presiding Officer of the Authority shall be empowered in urgent cases and to need exigencies of work, to make adhoc appointment to Class-IV posts without the selection being made by the Selection Committee for a period not exceeding 89 days at a time or one year in aggregate or till appointment or promotion to such post is made in accordance with these rules, whichever is earlier.

8. Disqualification.- No person-

(s) Who entered into or contracted a marriage with a person having spouse living,

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the posts:

Provided that if the State Government is satisfied that there were specific reason for doing so, the Government may exempt any person from the operation of this rule.

(c) Who have been punished by any court of law of the land for any criminal Act which otherwise debar any incumbent to hold any post in Government service under the rules,

(d) any other bar as specified by the Government from time to time.

9. **Probation**.- Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

10. **Career Advancement**.- Persons holding posts which do not have promotional avenues are eligible for grant of advance increment in accordance with the scheme/rules of the State Government on completion of prescribed period of service as indicated in the Schedule.

11. **Interpretation**.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government , whose decision thereon shall be final.

12. **Relaxation**.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the Service	Total number of duty posts	Classification	Scale of pay+ Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director ,finance (State Finance Services)	01	Class-I	Rs.15600-39100+ Rs. 6600
2.	Registrar	01	Class-II	Rs.15600-39100+ Rs. 5400
3.	Office Superintendent	01	Class-III	Rs.9300-34800+ Rs.4300
4.	Stenographer (Hindi)	01	Class-III	Rs.9300-34800+ Rs.4300
5.	Stenographer (English)	01	Class-III	Rs.9300-34800+ Rs.4300
6.	Accountant	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.2800
7.	Reader	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.2800
8.	Assistant Grade-II	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.2400
9.	Assistant Grade-III	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
10	Head Copyist	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
11	Record Keeper	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
12	Typist	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
13	Order Writer	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
14	Order Server	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
15.	Driver	02	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900
16.	Daftari	01	Class-IV	Rs.4750-7440+ Rs.1400
17.	Peon	05	Class-IV	Rs.4750-7440+ Rs.1300
18.	Sweeper	01	Class-IV	Colletrorate Rate

19.	Law Intern / Court manager Contractual	01	-	Stipend as specified by the Authority from time to time. Consolidated sum of Rs .50,000/- per months
	Total posts	**24**		

SCHEDULE- II
(See rule 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classi-fication	Scalte of pay+ Grade pay	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks	Prescribed Educational Qualification	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of service or post to which promotin is to be made	Nameof member of the selection committee Departmental promotion committee
					by direct recruitment /adhoc/out source/ deputation	by deuptatin/promotion of member of service	by transfer/ depu-tation/ contract					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Deputy Director finance (State finance survice)	01	Class-I	Rs 15600-39100+ Rs.6600/-	-	-	100%	By deputation /contract				
2.	Registrar	01	Class-II	Rs15600-39100+ Rs.5400/- or own pay scale (Deputy Secretary Cadre)	-	-	100%	Deputy Secretary Level Officer of State Govern-ment	-	-	-	-
3.	Office Superin-tendent	01	Class-III	Rs.9300-34800+ Rs.4300 or own pay scale	-	-	100%	By deputation /contract				
4.	Stenographer (Hindi/ English)	02	Class-III	Rs.9300-34800+ Rs.4300	-	100%	-	If employes in feeder cadre is not available then by deputation /transfer/				

								contract				
5.	Accountant	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.2800	-	100%	-	--do--				
6.	Assistant Grade-II	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.2400	-	100%	-	--do--				
7.	Reader	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.2800	-	100%	-	--do--				
8.	Head Copyist	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	75%	25%	-	--do--	(1)Should have Passd Higher Secondary Examinatin in10+2 systedm from any recognized Boadrd. (2)Should have qualification in Computer from any Government/Semi-Government or any recognized institution. (3) As per instruction/ notification issued by General Administration department from time to time.	5 years	Assistant Grade-II	As constitued by the Presiding Officer of Authority
9.	Assistant Grade-III	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	75%	25%	-	25% by promotion of Class-IV employee who have	(1)Should have Passd Higher Secondary Examinatin in10+2	5 years	Assistant Grade-II	As constituted by the Presiding Officer of Authority

ч - (13

								prescribed educational qualification of Assistant Grade-III and have completed 5 years of regular service	systedm from any recognized Boadrd. (2)Should have qualification in Computer from any Government/Semi-Government or any recognized institution. (3) As per instruction/ notification issued by General Administration department from time to time.			
10.	Typist	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	75%	25%	-	25% by promotion of Class-IV employee who have prescribed educational qualification of Assistant Grade-III and have completed 5 years of regular service	(1)Should have Passd Higher Secondary Examinatin in10+2 systedm from any recognized Boadrd. (2)Should have qualification in Computer from any Government/Semi-Government or any recognized institution. (3) As per instruction/ notification issued by General	5 years	Assistant Grade-II	As constituted by the Presiding Officer of Authority

									Administration department from time to time.			
11.	Record Keeper	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	75%	25%	-	-do-	-do-	--	--	--
12.	Order Writer	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	75%	25%	-	-do-	-do-	--	--	--
13.	Order Server	01	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	75%	25%	-	-do-	-do-	--	--	--
14.	Driver	02	Class-III	Rs.5200-20200+ Rs.1900	100%	–	-		(1)Should have passed Class 8th examination from any recognized board. (2)Valid Driving License issued by the Competent Authority. (3) One year experience of Driing light/heavy motor vehicle.			
15.	Daftari	01	Class IV	Rs.4750-7440+ Rs.1400	-	100%	-	If employee in feeder cadre is not available then by deputation /transfer/ contract	-	-	-	-
16.	Peon	05	Class-IV	Rs.4750-7440+ Rs.1300	100%	-	-	-	Should have passed Class 8th	5 years	Assistant Grade-III	As constituted by the

									examination from any recognized board.			Presiding Officer of Authority
17.	Sweeper	01	Class-IV	Collectorate Rate	-	-	-	-	-	--	--	--
18.	Law Intern/ Cort Manager Contractual	01	-	Stipend as specified by the Authority from time to time i.e. Consolidated sum of Rs/50,000/- per month shall be payable.	-	-	-	-	-	--	--	--

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.